



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025—फाल्गुन 5, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक एफ ए 3-72/2017/1/पांच(02) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-72-2017-1-पांच(135) दिनांक 18.10.2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्द और प्रतीक, "(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नल (प्रीमिक्स)" के पश्चात शब्द और प्रतीक, "(ग) उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 16 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक एफ ए 3-72-2017-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-72-2017-1-पांच (02), दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 24th February 2025

No. F A 3-72/2017/1/V(02) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F-A-3-72-2017-1-V(135) dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols, “(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply of ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government”, the words and symbols, “(c) food inputs for (a) above.” shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to come into force on the 16th day of January, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.